न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण सं0 2024/35

सिविल प्रकरण संख्याः— 32/2024 तारीख रजू 14.03.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. मोहित सिंघल पुत्र श्री बद्रीलाल सिंघल (विक्रेता) मैसर्स आपूर्ति डिपार्टमेण्टल स्टोर, वार्ड नं. 09, बाल मन्दिर कालोनी बजरिया, सवाई माधोपुर निवासी 83 बालमन्दिर कॉलोनी बजरिया सवाई माधोपुर
2. संतोष सिंघल पत्नि श्री बद्रीलाल सिंघल (फर्म मालिक) मैसर्स आपूर्ति डिपार्टमेण्टल स्टोर, वार्ड नं. , 09, बाल मन्दिर कालोनी बजरिया, सवाई माधोपुर निवासी 83 बालमन्दिर कॉलोनी बजरिया सवाई माधोपुर

.........अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/52एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः— दिनांक 09.12.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिये युद्ध के तहत दिनांक 30.03.2023 को 1.30 पी.एम. पर मैसर्स आपूर्ति डिपार्टमेन्टल स्टोर वार्ड नं0 09, बाल मन्दिर बजरिया सवाई माधोपुर पर पहुंचा। आवेदक द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र, एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु **Namkeen (Shri Ajab Brand)** 350 ग्राम के पोलीपैक में रखे हुए थे। उक्त **Namkeen (Shri Ajab Brand)** 350 ग्राम के पोलीपैक के 04 पोलीपैक खरीदकर उसकी कीमत 292/— रूपये विक्रेता श्री मोहित सिंघल को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान लोकेश जिन्दल के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Namkeen (Shri Ajab Brand)** 350 ग्राम के पोलीपैक को मूल ही लेकर आवेदक द्वारा 04 नमूना भाग तैयार कर तथा 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **H-2773** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना ... को अलग—अलग खाकी कागज में लपेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:33:06 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक H-2773 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मोहित सिंघल ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विकेता मोहित सिंघल को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील किया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2023/722 दिनांक 08.05.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1230/एक्ट/2023/1280 दिनांक 12.04.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया **खाद्य पदार्थ Namkeen** (**Shri Ajab Brand**) 350 ग्राम **Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act 2006,** प्रकृति का होना पाया गया है।

अभिहित अधिकारी द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मै0 आपूर्ति डिपार्टमेण्टल स्टोर बजरिया स0मा0 से अग्रिम खरीद बिल चाहा गया जिस पर उक्त फर्म द्वारा प्रत्युत्तरमय अग्रिम माल खरीद बिल नहीं होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र कमांक एफएसएसए/2024/170 दिनांक 12.03.2024 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा **Misbranded Namkeen** (**Shri Ajab Brand**) का विकय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण 1 व 2 की ओर से अभियुक्त संख्या 1 स्वयं उपस्थित हुये। अभियुक्त संख्या 1 द्वारा प्रकरण में जवाब पेश किया ... प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:33:06 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने मिसब्राण्डेड **Namkeen (Shri Ajab Brand)** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त संख्या 1 ने पेश किये गये जबाव को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की फर्म से **खाद्य पदार्थ Namkeen (Shri Ajab Brand)** का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा मिसब्राण्डेड प्रकृति का माना गया है। प्रार्थी ने उक्त नमकीन मैसर्स विवेक ट्रेडर्स स0मा0 से खरीदी थी उक्त फर्म ने तत्समय बिल नहीं देकर बाद में बिल भिजवाने का कथन किया। प्रार्थी व्यापारी के विश्वास पर माल ले आया। बाद में उस फर्म से माल लिया तो उसका बिल उन्होंने दे दिया पिछला बिल नहीं दिया। हमारी फर्म की बिना बिल माल रखने की कोई नियत नहीं थी और न ही बिना माल हम खरीद करते है। इसके बाबजूद भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हमारी फर्म को ही दोषी मानकर आगे की कार्यवाही की है। माल के निर्माण एवं पैकिंग में क्या–क्या सावधानियां रखनी होती है यह जिम्मेदारी निर्माण एवं पैकिंग कर्ता फर्म की ही होती है। इसमें खुदरा विक्रेता की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। हमारे द्वारा जानबूझ कर बिना बिल लिए माल खरीद नहीं किया गया है। माल के मिसब्राण्ड होने या नहीं होने की कोई परीक्षण प्रकिया हमारी फर्म के द्वारा नहीं होती है जिससे हम यह कह सके कि यह माल खरीद करें या नहीं। यह जिम्मेदारी निर्माणकर्ता एवं पैकिंग करने वाली फर्म की होनी चाहिए। अन्त में अभियुक्त संख्या 1 द्वारा फर्म पर कोई दण्डात्मक आदेश न फरमाकर भविष्य के लिए चेतावनी जारी करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1230/एक्ट/2023/1280 दिनांक 12.04.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ Namkeen (Shri Ajab Brand)** मिसब्राण्डेड प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा माल लेते समय माल प्रदाता फर्म से बिल प्राप्त नहीं किया गया जबकि माल क्रय–विक्रय करते समय बिल प्राप्त करना/बिल देना अभियुक्तगण की जिम्मेदारी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नमूना प्राप्त करने पर नमूने के संबंध में बिल चाहे जाने पर अभियुक्तगण द्वारा बिल पेश नहीं किया गया और ना ही बाद में उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार अभियुक्तगण की फर्म से वास्ते नमूना लिये गये माल की किसी भी प्रकार की कमी के लिए अभियुक्तगण जिम्मेदार है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:33:06 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्डेड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ Namkeen (Shri Ajab Brand)** का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्तगण 1 लगायत 2 पर संयुक्त रूप से 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **09.12.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:33:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner